सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 45/2017 अपील (RCMS-00136/2017)
पंजीयन् दिनांक – 30.08.2016
निर्णय दिनांक – 14.05.2018

1. श्री पृथ्वीराज पिता श्री छगनलाल बाह्मण निवासी बेडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री सत्यनारायण पिता छगनलाल बाह्मण निवासी बेडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्री शंकरलाल पिता छगनलाल बाह्मण निवासी बेडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर, उदयपुर जरीये सचिव।
2. प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर, उदयपुर ।
3. श्रीमती दामिनी कुंवर पत्नि श्री गोपाल सिंह राव, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती सुमन कुंवर पत्नि श्री लाल सिंह रूपावत (राव), निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
5. श्रीमती विष्णु कुंवर पत्नि श्री गोविन्द सिंह राव, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
6. श्रीमती प्रियंका कुंवर पत्नि श्री सुरेन्द्र सिंह राव, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
7. श्रीमती हगामी बाई पत्नि श्री छगनलाल बाह्मण निवासी बेडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

8. श्रीमती मांगी बाई पत्नि श्री भगवानलाल माली, निवासी 27, हेमराज मार्ग, उदयपुर।

9. श्री मदनलाल पिता श्री चुन्नीलाल माली, निवासी निंकुभ जिला चित्तौड़गढ़।

10. श्री निरन्जन पिता श्री प्रताप माली, निवासी प्रतापनगर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

11. श्री देवीलाल पिता श्री गणेशलाल माली, निवासी प्रतापनगर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

12. श्रीमती लीलाबाई पत्नि श्री घीसूलाल माली, निवासी प्रतापनगर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

13. श्री सुरेश पिता श्री नारायणलाल माली, नारायणपुरा, चारभुजा का मोहल्ला, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

14. श्री जगदीश पिता श्री नाथुलाल माली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

15. श्रीमती सुधा पत्नि श्री सुखदेव जी ईजाहवा, निवासी 21–22, पन्ना विहार, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर।

16. श्री चन्द्रदास पिता श्री भगवान लाल वैष्णव, निवासी धरियावद ।

17. श्री सुधीर कुमार पिता श्री गणेशलाल शर्मा, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

18. श्रीमती प्रतिभा देवी पत्नि मधुपराज द्विवेदी, निवासी गावं मोडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

19. श्री मधुपराज द्विवेदी पिता श्री यमुनाशंकर द्विवेदी, निवासी गावं मोडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

20. श्री दिलीप कुमार पिता श्री रामचन्द्र जोशी, निवासी गावं मोडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

21. श्रीमती ममता पत्नि श्री दिलीप कुमार जोशी, निवासी गावं मोडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

22. श्री नरेन्द्र कुमार पिता श्री नाथूलाल बाह्मण, निवासी गावं करणपूर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

23. श्रीमती राजकुमारी पत्नि श्री भूपेन्द्र कुमार आमेटा, निवासी नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

24. श्री राजूगिरी पिता श्री डालूगिरी गोस्वामी, निवासी गावं मोडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

25. श्री दिलीप कुमार पिता श्री पुष्कर जोशी, निवासी 5फ–1–96, भक्तिनाथ, बापुनगर, अहमदाबाद।

26. श्री मुकेश जोशी पिता श्री जमनाशंकर जोशी, निवासी गावं मोडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

27. श्रीमती प्रेमी. देवी पत्नि श्री राजूगिरी गोस्वामी, निवासी गावं मोडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

28. श्री सम्पतलाल पिता श्री भगवानलाल जाट, निवासी गावं खाला तोड, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

29. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि श्री गिरिजाशंकर आमेटा, निवासी गाडरियावास, कांक्रोली, तहसील व जिला राजसमन्द।

30. श्री राजेन्द्र प्रसाद पिता श्री रामप्रसाद जोशी, निवासी मुकाम पोस्ट वली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर हाल मुकाम 5–5 रूदाश डूप्लेक्स।

31. श्रीमती निर्मला देवी पत्नि श्री नाथुलाल आमेटा, निवासी करणपूर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

32. श्रीमती श्रद्धा देवी पत्नि गिरिशचन्द्र, निवासी गावं मोडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

33. श्री जयशंकर आमेटा पिता श्री रतनलाल आमेटा, निवासी केलवाडा (जरडू), तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द।

34. श्रीमती मंजु पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी, निवासी 13, वृद्वावनधाम, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर।

35. श्रीमती कुसुम पत्नि श्री नीलकण्ठ आमेटा, निवासी धामानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

36. श्री नारायण सिंह पिता श्री विजय सिंह राठौड़, निवासी बड़ी सादड़ी, आदर्श कॉलोनी, जिला चित्तौड़गढ़।

37. श्रीमती ललिता कंवर चुण्डावत पत्नि श्री तख्तसिंह चौहान, निवासी उलपुरा (कोठारिया) तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

38. श्रीमती रेखा देवी पत्नि श्री ऊंकारलाल बाह्मण निवासी बेडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

39. श्री हमेर सिंह पिता श्री तख्त सिंह राजपूत, निवासी खोडाव, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र सोनी	– वकील अपीलान्ट
2. श्री एन.एस.चुण्डावत	– वकील रेस्पोंडेन्ट–1 व 2
3. श्री भरत सिंह राव	– वकील रेस्पोंडेन्ट–3, 6, 8 से 16, 18, 19, 20 से 35, 37 व 39

अपील अन्तर्गत धारा 90–क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर क्रमांक ए.11( )/नियमन–ाा/रेबारियों का गुडा/2014/91 दिनांक 18.12.2013

निर्णय

दिनांक 08.05.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 90–क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर क्रमांक ए.11( )/नियमन–ाा/रेबारियों का गुडा/2014/91 दिनांक 18.12.2013 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रेबारियों का गुडा, पटवार क्षेत्र शोभागपुरा, तहसील गिर्वा में आराजी संख्या 743, 748, 749 कुल किता 03 रकबा 0.76 हेक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट संख्या 3 से 39 के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। खातेदार ने उक्त भूमि धारा 90 बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के अन्तर्गत समर्पण/नियमन हेतु प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को आवेदन किया। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही उपरान्त धारा 90 बी के अन्तर्गत अपीलाधीन पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 18.12.2013 पारित किया। उक्त पुर्नग्रहण आदेश के अन्तर्गत अपीलान्ट–1 के नाम पर 33333/760000वें हिस्से से दर्ज होने से गलत तरीकें से धारा–90–क का आदेश पारित कर भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम पर पुर्नग्रहित करने के आदेश से व्यथीत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 उपस्थित। वकील अपीलान्ट अनुपस्थित होकर लिखित बहस पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। वकील अपीलान्ट की लिखित बहस प्राप्त। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 की एक तरफा बहस दिनांक 30.04.2018 को सूनी गई।

अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील में बताया कि राजस्व ग्राम रेबारियों का गुडा के आराजी नम्बर 743, 748 व 749 में रेस्पोडेंट संख्या–6 श्रीमती हगामी बाई पत्नि स्व. श्री छगनलाल बाह्मण निवासी बेडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर का 1/16 हिस्सा जमाबंदी में दर्ज था। उक्त वर्णित आराजीयात पर अपीलान्ट का उसके पिता/दादा के समय से देवरा (मंदिर), टिनशेड व मन्दिर का चौक, बाडा बना हुआ है, जिस पर अपीलान्ट व उसके बाप दादा के वक्त से 70–80 वर्षों से पुजा अर्चना करते चले आ रहे थे तथा आज भी नियमित पुजा अर्चना कर रहे है तथा पुजा स्थल है। उक्त वर्णित आराजीयात में अपीलान्ट पृथ्वीराज पिता श्री छगनलाल बाह्मण का 33333/760000वां हिस्सा है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 का नोटिस मिलने पर दिनांक 06.06.2016 को जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो पता चला की उसमें भी उक्त हिस्सा अपीलान्ट पृथ्वीराज का दर्ज है व अपीलान्ट पृथ्वीराज द्वारा कभी कोई भूमि समर्पित नहीं की गई। जो प्लान प्रस्तुत किया गया है वो गलत है, अपीलान्ट पृथ्वीराज के कही पर हस्ताक्षर नहीं है। उक्त धारा 90–क के तहत आदेश पारित किये जाने में अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 6 की किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं थी तथा भू–राजस्व अभिलेखों में अविभाजित व शामलाती खातेदारी की जायदाद अपीलान्ट के नाम 33333/760000वें हिस्से से दर्ज होकर शामलाती खातेदारी की भूमि है जिसका किसी प्रकार से कानूनी व विधिक बटवारा नहीं हुआ है न ही किसी प्रकार का कोई सहमति बटवारा रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 के यहा पेश हुआ, न ही कथित बटवाड़े में अपीलान्ट के हस्ताक्षर है, न ही उनकी सहमति है, लेकिन उसके बावजुद भी गलत तरीके से अपीलान्ट की गैरमाजूदगी में राजस्व अभिलेखों में भूमि अविभाजित होकर अपीलान्ट उक्त हिस्से में नाम अंकित होते हुए व रेकार्डेड खातेदार काश्तकार होते हुए व बिना उनकी सहमति के व बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी प्रकार का व्यक्तिगत नोटिस दिये गैरकानूनी तरीके से भूमाफियाओं ने धोखाधड़ी का गलत तथ्य बताकर मिलीभगत से गलत तरीके से धारा 90–क का आदेश पारित करने में भारी कानुनी त्रुटी की है जो कथित आदेश प्रारम्भतः शुन्य प्रभावी व गैरकानूनी होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंटस्–1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि जमाबन्दी के अनुसार दर्ज खातेदारों द्वारा 90–बी की कार्यवाही

चाहे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। आदेश जारी करने से पूर्व खातेदारों से आपत्तियॉ चाही गयी परन्तु किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसे विधि अनुकूल होना बताते हुए अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम रेबारियों का गुडा के आराजी नम्बर 743, 748 व 749 में रेस्पोडेंट संख्या–6 श्रीमती हगामी बाई पत्नि स्व. श्री छगनलाल बाह्मण निवासी बेडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर का 1/16 हिस्सा जमाबंदी में दर्ज था। उक्त वर्णित आराजीयात पर अपीलान्ट का देवरा (मंदिर), टिनशेड व मन्दिर का चौक, बाडा बना हुआ है, तथा पुजा स्थल है। अपीलान्ट द्वारा इस सम्बन्ध में मौके के फोटो भी प्रस्तुत किये है। उक्त वर्णित आराजीयात में अपीलान्ट पृथ्वीराज पिता श्री छगनलाल बाह्मण का 33333/760000वां हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर इस सम्बन्ध में पटवारी, पटवार मण्डल शोभागपुरा द्वारा जारी जमाबन्दी भी उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट ने जो तथ्य प्रस्तुत किये को आधार मान लिया जो एकतरफा प्रतीत होता है। निर्णय दिनांक 18.12.2013 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिक्षण किया जाना प्रतीत नहीं होता है। न ही अपीलार्थीगण को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई के अवसर प्रदान किये जाना प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों का सुनवाई को अवसर देते हुए, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझे है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का आदेश दिनांक 18.12.2013 निरस्त किया जाता है। प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर